india.gov.in INDIA

झारखण्ड सरकार

स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना

झारखण्ड राज्य में निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना दिनांक 1.4.2006 के प्रभाव से आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत निम्न अर्हता रखने वाले निःशक्त व्यक्ति को बिना किसी जाति/लिंग अथवा धर्म के भेदभाव के 200/-रू0 प्रतिमाह सम्मान राशि का भुगतान किया जाएगा।

कार्यान्वयन - जिलों को उपलब्ध कराई जानेवाली राशि से निम्न अर्हता प्राप्त लाभान्वितों के बीच राशि का वितरण किया जाता है।

अर्हताएं-

(क) वह झारखण्ड राज्य का निवासी हो,

(ख) लाभान्वित की आयु 5 वर्ष से अधिक, होनी चाहिए,

(ग) वह केन्द्र अथवा राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो,

(घ) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारी का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-2 के अन्तर्गत निर्धारित निःशक्तता की परिभाषा के अनुसार वह निःशक्त की श्रेणी के अन्तर्गत आता हो,

(ड़) लाभान्वित अथवा उसके माता-पिता/अभिभावक की आय आयकर हेतु निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो,

(च) जिला चिकित्सा पर्षद द्वारा उसे निःशक्तता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो,

(छ) वह केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र एवं राज्य सरकारों के उपक्रमों/केन्द्रों एवं राज्य सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं का सेवा कर्मी नहीं हो।

सम्बन्धित व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) के पास आवेदन पत्र दे सकते है।

कार्य-

इस योजना के अन्तर्गत अर्हता प्राप्त लाभान्वितों के चयन तथा उनके नाम के अनुमोदन हेतु प्रत्येक अनुमण्डल पदाधिकारी (एस.डी.ओ.) की अध्यक्षता में निम्न रूप से समिति गठित है-

(क)	अनुमण्डल पदाधिकारी (एस.डी.ओ.)-	अध्यक्ष
(ख)	वरीय कार्यपालक दण्डाधिकारी	संयोजक
(ग)	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अनुमण्डल मुख्यालय	सदस्य
(घ)	प्रभारी चिकित्सक अनुमण्डलीय अस्पताल	सदस्य

नाबालिग तथा मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए राशि का भुगतान उन्हें किया जायेगा जिनपर वे आश्रित हैं।